



केंद्रीय विद्यालय कटिहार

शिक्षा मंत्रालय, (भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय) लंगड़ाबगान, साहेबपाड़ा, कटिहार (बिहार)-854105,
दूरभाष:- +91-6452-231397, सीबीएसई संबद्धता सः 300018, सीबीएसई स्कूल कोड 69018,
के.वि. कोड:- 1830, ईमेल:- kvkatihar@gmail.com GSTIN: 10PTNK00414B1D8

KENDRIYA VIDYALAYA KATI HAR

An autonomous body under Ministry of education, Govt. of India, Langrabagan, Sahebpara, Katihar (Bihar) -854105,
Phone:- +91-6452-231397, Website:- katihar.kvs.ac.in CBSE affiliation No:- 300018, CBSE code:- 69018, KV code:- 1830,
email:- kvkatihar@gmail.com GSTIN: 10PTNK00414B1D8



पत्रांक : फा.28029/केवि/कटिहार/2021-22/ 135

दिनांक: 05/05/2022

सेवा में,

उपायुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन,

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना,

पोस्ट : कंकडबाग, पटना-20 (बिहार)

विषय : छात्र छात्राओं तथा महिला शिक्षिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं के रोकथाम हेतु विद्यालय देअर उठाए गए कदमों की जानकारी के संबंध में ।

संदर्भ : फा.28029/केविसंपसं(शै)/3529-82; दिनांक : 04-05-2022

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ के अनुपालन के क्रम में कहना है कि विद्यालय स्तर पर सत्र 2022-23 हेतु एक Grievance / Moral Turpitude - cum – child welfare Committee का गठन किया जा चुका है और POCSO Act, 2012 & Article 81-B, Education Code, KVS के आलोक में विद्यालय स्तर पर एक स्कूल POCSO कमिटी भी बनाई गई है, जिसके सदस्य हैं - 1) श्री दीपक कुमार, पी.जी.टी., 2) श्रीमती श्रुति स्मृति, टी.जी.टी. 3) श्री राजन प्रसाद गुप्ता, पी.आर.टी., 4) श्रीमती साजिया नाजिश, पी.आर.टी., 5) संविदा पर नियुक्त काउन्सलर । इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जाँच के लिए केन्द्रीय विद्यालय कटिहार में निम्नलिखित नामित सदस्यों की एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन भी किया गया है ।

क्रमांक	नामावली	नामित सदस्य
1	पीठासीन अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय की आई सी.सी. के पीठासीन अधिकारी.
2	गैर सरकारी संगठन सदस्य-	श्रीमती अंजनी कुमारी शर्मा, विशाल जागृति फाउण्डेशन, कटिहार
3	सदस्य	श्री राजीव कुमार रंजन ,पी.जी.टी.(रसायन) ,के.वि. कटिहार .
4		श्रीमती साजिया नाजिश ,पी.आर.टी ,के. वि .कटिहार
5	सदस्य	श्रीमती रत्ना मण्डल, महिला अभिभावक सदस्य.वि.प्र.स ,

ये समितियाँ छात्र-छात्राओं को POCSO Act, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें उनके अधिकारों एवं उनके प्रति हो रही किसी भी अवांछनीय घटनाओं के प्रति उन्हें सजग और सचेत करती रहती हैं तथा ऐसी किसी भी घटना के विरुद्ध शिकायत करने के लिए प्रेरित भी करती हैं । वहीं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए बनी कमिटी पूरी सजगता से कार्य कर रही है और महिलाओं को विभिन्न अवसरों जैसे महिला दिवस आदि पर कार्य स्थल पर उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु उन्हें अवगत करती है ।

अतः उपरोक्त जानकारी श्रीमान के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

भवदीय
(डॉ. आनंद प्रकाश)

प्राचार्य

Principal
कें० वि० कटिहार
K. V. KATI HAR